

डॉ. अम्बेडकर का सामाजिक-चिन्तन



डॉ. देशराज सिरसवाल

डॉ. अम्बेडकर का सामाजिक-चिन्तन

डॉ. देशराज सिरसवाल

© Copyright, 2022, Dr. Desh Raj Sirswal

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy recording, or any information storage or retrieval system, without permission in writing from the publisher.

The opinions/ contents expressed in this book are solely of the author and do not represent the opinions/ standings/ thoughts of Publications Name. No responsibility or liability is assumed by the publisher for any injury damage or financial loss sustained to persons or property from the use of the information, personal or otherwise, either directly or indirectly. While every effort has been made to ensure reliability and accuracy of the information within, all liability, negligence or otherwise, from any use, misuses or abuse of the operation of any methods, strategies, instructions or ideas contained in the material herein is the sole responsibility of the reader. Any copyrights not held by publisher are owned by their respective authors. All information is generalized, presented informational purposes only and presented “as is” without warranty or guarantee of any kind.

All trademarks and brands referred to in this book are for illustrative purposes only, are the property of their respective owners and not affiliated with this publication in any way. Any trademarks are being used without permission and the publication of the trademark is not authorized by associated with or sponsored by the trade mark owner.

ISBN: 978-93-93767-69-1

Price: 180.00

Publishing Year 2022

Published and printed by:

Rudra Publications

Office Address: Kapil Nagar,

New Sarkanda, Bilaspur, Chhattisgarh – 495001

Phones: +91 9522285558 +91 9522263336

Email: contact.rudrapublications@gmail.com

Website: www.rudrapublications.com

Printed in India

Page | III

डॉ. अम्बेडकर का सामाजिक-चिन्तन



डॉ. देशराज सिरसवाल



अनुक्रम

	पेज नं.
भूमिका	1
अम्बेडकर: व्यक्तित्व एवं विचार	2
अम्बेडकर के शिक्षा-सम्बन्धी विचार	7
गांधी और अम्बेडकर	11
जातिवाद एवं मानवाधिकार	17
My work on Dr. B.R. Ambedkar/Dalit Literature/ Human Rights/ Women Issues (2006 to 2021)	23

About the Book

प्रस्तुत अंक कुछ लेखों का संग्रह मात्र है। जिसमें उनके चिंतन का अंश भर रेखांकित किया गया है। प्रथम लेख उनके व्यक्तित्व एवं विचारों से हमारा परिचय कराना है। द्वितीय लेख उनके शिक्षा सम्बन्धी विचारों का संकलन है। तृतीय लेख डॉ. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच वैचारिक द्वंद की तरफ इंगित करता है, जोकि वस्तुतः एक पंजाबी लेख का भावानुवाद है। चतुर्थ लेख में जातिवाद एवं मानवाधिकार के बारे एक निरपेक्ष चिंतन दिया गया है जिसमें वर्तमान समय की जातीय समस्याओं, मानवाधिकार के परस्पर सम्बन्ध को दर्शाया गया है।

About the Author

Dr. Desh Raj Sirswal is an Assistant Professor (Philosophy), Post Graduate Govt. College, Sector-46, Chandigarh and Programme Co-ordinator of Centre for Positive Philosophy and Interdisciplinary Studies (CPPIS), Milestone Education Society (Regd.), Pehowa (Kurukshetra). He is the Editor of bi-annual interdisciplinary online journals Lokāyata: Journal of Positive Philosophy and Milestone Education Review (The Journal of Ideas on Educational & Social Transformation: ISSN: 2278-2168). He contributed several research papers in the field of philosophy, Ambedakrism and edited several books. Visit at <http://drsirswal.webs.com> for more details.

1. भूमिका

भारतीय संविधान के निर्माता डॉ. भीमराव अम्बेडकर सिर्फ दलितों के ही नेता नहीं है। वह एक ऐसे राष्ट्र पुरुष हैं। जिन्होंने समूचे देश के सम्बन्ध में, भारत के इतिहास के सम्बन्ध में, एवं समाज परिवर्तन पर महत्त्वपूर्ण वैचारिक योगदान दिया है। डॉ. अम्बेडकर एक विद्वान, लेखक, राजनीतिज्ञ, समाज-सुधारक, कानून विशेषज्ञ, शिक्षा-शास्त्री और नवसमालोचक के रूप में नई पीढ़ी के सामने उदय हुए हैं।

मुझे कुछ विशेष अवसरों पर डॉ. अम्बेडकर के चिन्तन को पढ़ने और उन्हें समझने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रस्तुत अंक कुछ लेखों का संग्रह मात्र है। जिसमें उनके चिंतन का अंश भर रेखांकित किया गया है। प्रथम लेख उनके व्यक्तित्व एवं विचारों से हमारा परिचय कराना है। द्वितीय लेख उनके शिक्षा सम्बन्धी विचारों का संकलन है। तृतीय लेख डॉ. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच वैचारिक द्वंद की तरफ इंगित करता है, जोकि वस्तुतः एक पंजाबी लेख का भावानुवाद है। चतुर्थ लेख में जातिवाद एवं मानवाधिकार के बारे एक निरपेक्ष चिंतन दिया गया है जिसमें वर्तमान समय की जातीय समस्याओं, मानवाधिकार के परस्पर सम्बन्ध को दर्शाया गया है।

जो शिक्षा अंधविश्वास, भाग्यवाद, संकीर्णवाद, प्रतिक्रियावाद जैसी कुरीतियों को ध्वस्त करती है, वह ग्रहण करने योग्य है। प्रतियोगी, व्यवसायिक, तकनीकी और उपयोगी शिक्षा आज हमारे समाज की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है। एक ऐसी ही सामाजिक एवं शिक्षा-पद्धति की स्थापना करने को यह संस्था प्रतिबद्ध है। पिछले कई वर्षों से यह संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्यरत है। सीमित साधनों के साथ यह लगातार सामाजिक और शैक्षिक विकास के कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी निभा रही है और भविष्य में शिक्षा-सम्बन्धी दृष्टिकोण से विधार्थियों के विकास के लिए एक सशक्त माध्यम बनेगी।

डॉ. देशराज सिरसवाल

2. अम्बेडकर: व्यक्तित्व एवं विचार

भारतवर्ष आजादी की 75 वीं वर्षगांठ मना रहा है और देश में अपना संविधान लागू हुए 73 वर्ष हो रहे हैं। इतिहास वही बनाते हैं जो इतिहास जानते हैं। इसलिए हर नागरिक को अपने इतिहास की जानकारी रखना आवश्यक है। जिससे वह अपने भविष्य के विकास में मार्गदर्शन पा सके। भारतरत्न बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेदकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्यप्रदेश के महु नामक स्थान पर हुआ। उनकी माता का नाम भीमावाई और पिता का नाम रामजी वल्द मालोजी सकपाल था। उनका जन्म महाराष्ट्र में अपनी ईमानदारी, शूवीरता, तथा बहादुरी के लिए प्रसिद्ध महार जाति में हुआ। उनके बचपन में 'भीम' या 'भीवा' के नाम से पुकारा जाता था।¹

डॉ. अम्बेदकर अपने पिता के अलावा गौतम बुद्ध, ज्योतिबा फुले और कबीर से प्रभावित थे, जिन्हें अम्बेडकर के तीन गुरु भी कहा जाता है। डॉ. अम्बेडकर ने पाश्चात्य स्वतन्त्रता और मानवतावादी सम्बन्धी विचारों का ज्ञान प्रो. जॉन डेवी, जॉन स्टूअर्ट मिल, एडमण्ड ब्रूके और प्रो. हारोल्ड लॉस्की इत्यादि विचारकों से लिया। जिसका प्रमाण उनकी लिखितों और भाषणों में प्रयोग उद्धरणों से लगाया जा सकता है। अतः कहा जा सकता है कि डॉ. अम्बेदकर को पश्चिम ने उनके "हथियार" और पूर्व ने "आत्म-बल" दिया, जिसके आधार पर सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय के लिए उन्होंने संघर्ष किया।²

डॉ. अम्बेडकर आधुनिक भारत के महान चिंतक दार्शनिक, अर्थशास्त्री विधिवेता, शोषितों के मुक्ति-नायक, संघर्षशील सामाजिक कार्यकर्ता और संविधान निर्माता थे। वे स्वतन्त्रता-समानता-बन्धुत्व के क्रान्तिकारी आदर्शों को भारतीय समाज में स्थापित करना चाहते थे। जो भी प्रथा, परम्परा, विचारधारा, कानून या धार्मिक मान्यता इन मूल्यों आदर्शों को प्राप्त करने में बाधा रही हैं, वे उनके प्रबल आलोचक रहे। उन्होंने जातिप्रथा-

छूआछूत और पूंजीवादी-सामन्ती विचारधारा की तमाम शोषणपरक प्रणालियों की इसी आधार पर आलोचना करके बहुआयामी व वस्तुपरक विश्लेषण किया।

उनका विश्वास था कि अगर वे अपने संघर्ष में कामयाब हो जाते हैं तो यह किसी विशेष समुदाय के हित में नहीं होगा। बल्कि सभी भारतीयों के लिए एक वरदान बनेगा। वे चाहते थे कि बहुजन परम्परागत सामाजिक स्थिति पर अपनी मजबूत स्थिति बनाये। उनके आदर्श स्वतन्त्रता, समानता और भाईचारा थे।

“आज उदारीकरण, भूमंडलीकरण व निजीकरण की नीतियों से समाज में असमानता की खाई गहरी हुई है जबकि उनके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व धार्मिक चिन्तन का केन्द्रिय तत्व समानता है जिसकी बुनियाद पर ही कोई वास्तविक लोकतंत्र बन सकता है। लोकतान्त्रिक पद्धतियों की जगह तानाशाही व राजशाही की प्रवृत्तियां बढ रही हैं। राष्ट्र की सम्पत्ति को बड़े पूंजी शाहों को भेंट किया जा रहा है। राज्य अपनी कल्याणकारी भूमिका से पल्ला झाड़ रहा है। श्रमिकों, महिलाओं, वंचितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, दलितों पर उत्पीड़न बढ रहा है और उनके अधिकार छीने जा रहे हैं। अधिकांश राजनीतिक नेता व पार्टियां मुनाफाखोर पूंजीपतियों व शोषकों के एजेन्ट की तरह काम कर रही हैं। ऐसे में समाज परिवर्तन के इच्छुकों के लिए डॉ. भीमराव अम्बेडकर के प्रेरणादायी संघर्षशील जीवन व क्रान्तिकारी विचारों से दोस्ती निहायत प्रासंगिक है।”³

डॉ. अम्बेडकर के विचार

1. “यह कहने से बात नहीं बनती कि हर पुरानी बात सोने के बराबर होती है। लकीर के फकीर बनके काम नहीं चलता कि जो बाप-दादा करते आये हैं, वह सब औलाद को भी करना चाहिए। सोचने का यह तरीका ठीक नहीं है। परिस्थिति के बदलने के साथ-साथ विचार भी बदलने चाहिए यह जरूरी है।” (पृ. 30)⁴

2. “मराड़ सत्याग्रह के समय उनके अनुयायियों ने मारपीट करनेकी ठानी तो डॉ. अम्बेडकर ने कहा, “अपने से बाहर न होओ। अपने हाथ न उठाओ । अपने गुस्से को पीकर मन शांत रखो, हक के लिए झगड़ा नहीं करना है। हमें उनके वारों को सहना पड़ेगा और उन सनातनियों को अहिंसा की शक्ति के दर्शन करवाने होंगे।” (पृ. 40) डॉ. अम्बेडकर अपने मुक्ति आन्दोलन के बारे स्पष्टीकरण देते हुए कहते है कि मेरा ये आन्दोलन ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं, ब्राह्मणवाद के खिलाफ है । सारे ब्राह्मण दलितों का विरोध करते हैं, ऐसी बात नहीं है और गैर-ब्राह्मणों में भी तो ऊंच-नीच का भेद रखने वाले लोग हैं, ये न भूलों।”
3. पहली गोलमेज सभा में 31-12-1930 को बाबा साहेब ने कहा, “बरतानवी हुकूमत कायम करने में जिन अछूतों को प्रयोग किया गया है, उनकी हालत सुधारने के लिए अंग्रेजों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। हिन्दू समाज द्वारा अछूतों पर अत्याचार हो रहे हैं। फिर भी आजादी के बाद ही उनका कल्याण सम्भव हो सकेगा।” (पृ. 69) जब उन्हें एक बार सम्मान दिया गया तो अपनी सफलता का सेहरा जनता को देते हुए उन्होंने कहा, “हिन्दू समाज की आने वाली पीढी यह फैसला देगी कि मैंने अपने देश के लिए सही और नेक काम किया है, तुम लोग मुझे देवता न बनाओ।” (पृ. 82)
4. संविधान के बारे में वे कहते है, “शरीर के पहरावे के लिए बनाये गये सूट की तरह, संविधान भी देश के योग्य होना चाहिए। जिस तरह कमजोर शरीर वाले व्यक्ति के कपड़े मेरे लिए ठीक नहीं है, उसी तरह देश के लिए वह कोई लाभ नहीं पहुंच सकता । लोकतंत्र का अर्थ है बहुजन का राज । इसलिए इस देश में या तो हिन्दुओं का राज रहेगा या फिर इस बहुमत का जिसमें अछूत, आदिवासी और कम जनसंख्या वाले हैं, उनके प्रति क्या नीति अपनाई जायेगी, यह महत्वपूर्ण है।”(पृ. 35)

5. वे कहते हैं, “हमें किसी का आर्शीवाद नहीं चाहिए। हम अपनी हिम्मत, बुद्धि तथा कार्य योग्यता के बल पर अपने देश तथा अपने लिये पूरी लगन के साथ काम करेंगे। जो भी जागृत है, संघर्ष करता है, उसे अंत में स्थायी न्याय मिल सकता है।”
6. डॉ. अम्बेडकर ने अपने ग्रंथ ‘वु वर दि सुदराज’ कि भूमिका में लिखा है, “ऐतिहासिक सच की खोज करने के लिए मैं पवित्र धर्म ग्रन्थों का अनुवाद करना चाहता हूँ। इससे हिन्दुओं के पता चल सकेगा कि उनके समाज, देश के पतन और विनाश का कारण बना है - इन धर्मों के सिद्धान्त। दूसरी बात यह है कि भवभूति के कथनानुसार काल अनंत है और धरती अपार है, कभी न कभी कोई ऐसा इन्सान पैदा होगा, जो मैं कुछ कह रहा हूँ, उस पर विचार करेगा। इस ग्रंथ को उन्होंने आधुनिक भारत के सबसे उत्तम पुरुष ज्योतिबा फुले को समर्पित किया है। (पृ. 181-182)
7. बौद्ध धर्म के बारे में वे 15 मई, 1956 को अपने भाषण में कहते हैं, “मुझे बौद्ध धर्म, उसके तीन सिद्धान्त ज्ञान, दया और बराबरी के कारण ज्यादा प्यारा है। परमात्मा या आत्मा समाज को, उसके पतन से नहीं बचा सकती है। बुद्ध की शिक्षा ही बिना खून क्रांति द्वारा साम्यवाद ला सकती है।”
8. धर्म के बारे में वे कहते हैं -
 - समाज को बंधन की जरूरत है, उसे नीति चाहिए।
 - यदि धर्म उपयोगी है, तो वह विवेक पर आधारित और उपयोगी होना चाहिए।
 - धर्म के नीति-नियम ऐसे होने चाहिए, जो बराबरी, स्वतन्त्रता और भाई-चारे के साथ जुड़े हों।

9. “ऊची इच्छा और आशावादी सोच के साथ ही ऊँची स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है। जिसने अपने दिल में उम्मीद, उमंग और इच्छा की लौ जगा ली है, वही व्यक्ति सदा जिंदादिल रहता है। चरित्रवान् होना, उसकी वृद्धि करना, जिन्दगी का पहला फर्ज है उसका पूरी तरह विकास करो। उसे निर्मल बनाओ, पुरानी रूढियों और रिवाजों को दफना दो। नई कलम से नया सबक लिखो, हमेशा आशावान रहो। मेहनत और कुर्बानी से कर्तव्य पूरा होता है। इन्सान की अच्छी प्रथाओं से राष्ट्र और समाज बलवान तथा भाग्यशाली होते हैं।” (पृ. 105)
10. “जिन लोगों की जन-आन्दोलनों में रुचि है, उन्हें केवल धार्मिक दृष्टिकोण अपनाना छोड़ देना चाहिए। उन्हें भारत के लोगों के प्रति सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण ही अपनाना होगा।”

सन्दर्भ:

1. S.K.Kushwaha (ed.) Essays in Honour of Bharat Ratna Baba Saheb Dr. B.R. Ambedkar, p. 64
2. Vijay Chintaman, “Dr. Ambedkar as a Humanist Sonawane” in Essays in Honour of Bharat Ratna Baba Saheb Dr. B.R. Ambedkar, p. 2.
3. “अम्बेडकर से दोस्ती” भारत की जनवादी नौजवान सभा (क्लथ्प), कुरुक्षेत्र-यमुनानगर, 2008
4. प्रस्तुत विचार पंजाबी में अमरजीत सिंह कांग द्वारा अनुवादित डॉ. बाबा साहिब अम्बेडकर, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, 2000 से संकलित किये गये हैं।

3. अम्बेडकर के शिक्षा-सम्बन्धी विचार

आधुनिक युग में अम्बेडकर का चिन्तन अमानवीय, अनैतिक एवं अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के प्रति विद्रोह एवं विरोध का सबसे सशक्त स्वर माना जाता है। बाल्यकाल से ही कठोर अनुभवों से गुजरते हुए अम्बेडकर को अनेक सामाजिक बुराईयों एवं विडम्बनाओं के साथ अपनी जीवन नियति से साक्षात्कार हुआ था। गहन अध्ययन एवं उच्च शिक्षा के आधार पर उन्होंने सामाजिक अशुभ-के प्रति अपनी आलोचनात्मक दृष्टि को एक विवेक-सम्मत एवं तार्किक आधार प्रदान किया।¹

डॉ. अम्बेडकर का जीवन एक विधार्थी के लिए आदर्श विधार्थी जीवन का उदाहरण है। वे दिन में 18 घंटे अध्ययन करते थे। विधार्थी काल में किया गया उनके द्वारा परिश्रम, जोकि किसी उद्देश्य से पूर्ण था, क्या आज हम ऐसे उद्देश्यपूर्ण जीवन के बारे कभी चिन्तन करते हैं? क्या हमारी शिक्षा का कोई उद्देश्य है?, नहीं।

एक शिक्षक के रूप में उनकी मान्यता थी कि एक दलित वर्ग के छात्र को सामान्य श्रेणी के विधार्थी से ज्यादा परिश्रम करना चाहिए और एक आदर्श के रूप में अपने को प्रकट करना चाहिए। एक बार एक दलित विधार्थी उनसे सिफारिश करने आया, तो डॉ. अम्बेडकर ने उससे स्पष्ट कहा कि माना कि मैं चाहूँ तो यह संभव है पर मुझे यह शोभा नहीं देता। दूसरी बात, इस तरह किसी के लिए सिफारिश करना मुझे घृणास्पद लगता है। मेरी तो बल्कि यही धारणा है कि दलित विधार्थी की तरफ से ऐसा व्यवहार ही नहीं होना चाहिए कि जिस कारण उसकी अपनी बौद्धिकता और योग्यता में किसी प्रकार की हानि प्रकट होवे। मैं तो यह चाहता हूँ कि वह दूसरे विधार्थियों की तुलना में एक आदर्श विधार्थी के रूप में अपना अस्तित्व स्थापित करे।

नौजवानों को संबोधित करते हुए वे कहते हैं कि उन्हें अपनी जिन्दगी में ऊँचे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आठों पहर प्रयत्न करते रहना

चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो वह पशु से भी ज्यादा भयानक है। एक बार उन्हें जाकिर हुसैन कॉलेज में “Democracy” विषय पर बोलने के लिए बुलाया गया। गठिया से पीड़ित होते हुए भी उन्होंने दो विधार्थियों, जो कि निमन्त्रण देने के लिए आये थे, कहा था “I am a sick man but I love to talk to students.” जिस दिन भाषण देना था, वे बड़ी मुश्किल से मंच तक आये, तब तक वह बिमार दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो लगा कि उनको कोई कष्ट ही नहीं है इसके 10 महीनों के बाद ही उनका देहावसान हो गया था।²

उपरोक्त विवरण से क्रमशः हमें उनके परिश्रम, ईमानदारी और कार्य के प्रति निष्ठा के उदाहरण मिलते हैं, वे कहते थे कि “मेरी इच्छा था कि मैं जिनदगी भर विधार्थी बना रहूँ।” उनका कहना था कि “हमें यह विचार छोड़ देना चाहिए कि मां-बाप बच्चों को जन्म दे सकते हैं, पर किस्मत नहीं। वे उन्हें शिक्षा दिलाकर उनकी किस्मत को बना सकते हैं।”³ डॉ. अम्बेडकर के अनुसार, “ज्ञान आदमी के जीवन का आधार है।”⁴ अतः हमें शिक्षा की तरफ विशेष सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। सन् 1849 में महात्मा ज्योतिबा फुले ने महिला और शुद्रों की शिक्षा के लिए विद्यालय बनाये और एक आन्दोलन खड़ा किया।⁵ और उन्होंने शिक्षा की पहली किरण से उनको अवगत करवाया जबकि डॉ. अम्बेडकर विधार्थियों के लिए एक आदर्श के रूप में उभरे।

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार एक देश के लिए इन चार मूल्यों स्वतन्त्रता, एकता, बंधुता और न्याय बहुत आवश्यक हैं।⁶ उनके अनुसार, जिस समाज में कुछ वर्गों के लोग जो कुछ चाहे वह सब कर सके और बाकि वह सब भी न कर सकें। जो उन्हें करना चाहिए, उस समाज के अपने गुण होंगे, लेकिन उसमें स्वतन्त्रता शामिल नहीं होगी। अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित है, तब जिस सुविधा को आमतौर पर स्वतन्त्रता कहा जाता है, उसे विशेषाधिकार कहना उचित होगा।⁷

डॉ. अम्बेडकर का दर्शन समाज को समस्त अशुभ एवं अभिशाप से मुक्त कर स्वाधीनता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित समाज रचना के लिए प्रेरित करता है। विचार और व्यवहार दोनों ही स्तरों पर अम्बेडकर असमानता, अस्पृश्यता, अशिक्षा, अंधविश्वास, अन्याय, अनैतिकता जैसे सामाजिक अशुभों एवं अभिशापों से लोहा लेते हैं एवं एक मानवीय, नैतिक एवं न्यायप्रिय समाज के निर्माण का आह्वान करते हैं। अम्बेडकर एक ऐसे समाज के स्वप्न दृष्टा थे, जिसमें मनुष्य अपने विवेक से अंधविश्वासों का खण्डन करता है, समाज और प्रकृति के प्रति वैज्ञानिक एवं विवेकसम्मत दृष्टिकोण अपनाता है और धर्मशास्त्रों में क्या लिखा है, इसकी चिन्ता न करके मानवीय नैतिकता एवं न्याय के आदर्शों के अनुरूप व्यवहार करता है।⁸

जो शिक्षा अंधविश्वास, भाग्यवाद, संकीर्णवाद, प्रतिक्रियावाद जैसी कुरीतियों को ध्वस्त करती है, वह ग्रहण करने योग्य है। प्रतियोगी, व्यवसायिक, तकनीकी और उपयोगी शिक्षा आज हमारे समाज की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है। एक ऐसी ही सामाजिक एवं शिक्षा-पद्धति की स्थापना करने को यह संस्था प्रतिबद्ध है। पिछले कई वर्षों से यह संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्यरत है। सीमित साधनों के साथ यह लगातार सामाजिक और शैक्षिक विकास के कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी निभा रही है और भविष्य में शिक्षा-सम्बन्धी दृष्टिकोण से विधार्थियों के विकास के लिए एक सशक्त माध्यम बनेगी।

सन्दर्भ:

1. डॉ. ओम प्रकाश टाक, आधुनिक भारतीय चिंतक, पृ. 125
2. R.S.Harit, Lecture on the Nirvana Day,” p. 36
3. S.K. Kushwaha, Essay in Honour of Bharat Ratan Dr. B. R. Ambedkar, p. 123
4. वही,, पृ. 123

5. आर.एस.हरित और डॉ. एस.एन.गौतम, “अनुसूचित जाति के आरक्षण का संक्षिप्त इतिहास,” पृ. 110
6. प्रो. अंगने लाल, “बाबा साहिब अम्बेडकर आज के युग के समालोचक”, पृ. 54
7. बाबा साहेब अम्बेडकर, सम्पूर्ण वाङ्मय, खंड-14, पृ. 68
(अछूत: वे कौन थे और अछूत कैसे हो गये?)
8. डॉ. ओम प्रकाश टाक, आधुनिक भारतीय चिंतक, पृ. 128

टिप्पणी - प्रस्तुत विचार डॉ. अम्बेडकर की 117 वीं जयंती पर वाल्मीकि छात्रावास, वाल्मीकि आश्रम, कुरुक्षेत्र में दिनांक 14-04-2008 को प्रस्तुत किये गये।

4. गांधी और अम्बेडकर

अंग्रेज सरकार ने भारतीयों को शांत करने के लिए भारतीय राज अधिनियम 1919 के संशोधन, भारतीयों को ज्यादा अधिकार देने, अल्पसंख्यकों को समानता और विकास, शिक्षा-सुधार और उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए एक छह सदस्यीय कमीशन नियुक्त किया। सर जोन साइमन को इसका मुखिया बनाया गया, इस वजह से उसको 'साइमन कमीशन' कहा जाता है।

साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर बहस करने के लिए, लंदन में 1930, 1931, 1932 में तीन गोल-मेज सम्मेलन हुए। हिन्दुओं की तरफ से गांधी, मुसलमानों की तरफ से मोहम्मद जिन्ना और दलितों की तरफ से डॉ. अम्बेडकर शामिल हुए। 15 सितम्बर, 1931 को गांधी ने "Federal Structural Committee" में दावा किया कि कांग्रेस सभी भारतीयों के हितों व वर्गों का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए वह पूरे भारत राष्ट्र की प्रतिनिधि है।

डॉ. अम्बेडकर ने इस सम्मेलन में दलितों की दर्दनाक हालत संबंधी अपने भाषण में कहा:

“मैं जिन अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में यहां खड़ा हूँ, उनकी गिनती भारत की जनसंख्या का पांचवा हिस्सा है अर्थात् यह ब्रिटेन या फ्रांस की जनसंख्या के बराबर हैं, पर इनकी हालत गुलामों से भी बुरी है। गुलामों के मालिक उनको छूते हैं, पर हमें छूना भी पाप समझा जाता है। ब्रिटेन सरकार से पहले, छुआ-छूत की वजह से हमारी हालत बुरी थी। क्या ब्रिटेन सरकार ने अपने 150 सालों के राज में हमारी हालत सुधारने के लिए कुछ प्रयत्न किया? पहले हम कुओं से पानी भी नहीं भर सकते थे, मंदिरों में दाखिल नहीं हो सकते थे, पुलिस और फौज में भर्ती नहीं किया जाता था। क्या अब हमारे लिए यह दरवाजे खुले हैं? अंग्रेजों के 150 साल के बाद भी हमारी गुलामी ज्यों-की-त्यों ही बनी हुई है।”

“वह दुःख जिनसे दलित पीड़ित हैं, बेशक उनका, उतना प्रचार नहीं हुआ, जितना कि यहूदियों के दुःखों का हुआ है, तब भी दमन और अत्याचारों के साधन और मार्ग, जिनका हिन्दुओं ने अछूतों के प्रति प्रयोग किया, वह नाजीओं के यहूदियों के प्रति बरते गये साधनों से कम भिन्न नहीं है। यहूदियों के विरुद्ध नाजीओं का ‘Anti-Semitism’ का विचार और प्रभाव ‘सनातनवाद’ से किसी भी तरह भिन्न नहीं है।”

पेशवा राज में अछूतों को उन आम राहों पर चलने की मनाही थी, जिन पर ऊंची जाति के लोग चलते थे, ताकि वह अछूतों (दलितों) के परछाई से दूषित न हो जाएं। दलितों को अपनी पहचान के लिए, गले में काला धागा बांधना पड़ता था, ताकि संवर्ण हिन्दू गलती से उनको छूकर भ्रष्ट न हो जाए। पेशवाओं की राजधानी पूना में अछूतों को कमरके साथ झाड़ू बांधकर चलना पड़ता था, ताकि उनकी पैरों के निशान मिट जायें, जिससे कि स्वर्ण उसके चलते समय भ्रष्ट न होने से बच जायें। पूना में अछूतों को गले में एक छोटा मटका बांधना पड़ता था, ताकि यदि थूक आये तो वह उसमें थूकें क्योंकि धरती पर थूकने से, उसके उपर स्वर्ण का पैर पड़ने से वह दूषित हो सकता था।

मैं आपको हैरानी में डालना नहीं चाहता पर, कभी-कभी मुझे बड़ा महसूस होता है कि हम कितने भूलककड़ लोग हैं कि हम दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों की तो बात करते हैं - लेकिन खुद हमारे देश के हर गांव में एक दक्षिण अफ्रीका है, जोकि पृथक प्रमाण है। उसके बारे में सोचते ही नहीं है।

श्रीमान् गांधी ने विभिन्न वर्गों की समस्याओं के बारे कहा, “कांग्रेस हिन्दू-मुस्लिम-सिख उलझनों के बारे में इस बात पर सहमत हो गई है कि वह विशेष अधिकारों के बारे किसी ओर की मांगों, किसी भी रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मैंने विशेष हितों की सूची बड़े ध्यान से सुनी है। जहां तक अछूतों का संबंध है, मैं डॉ. अम्बेडकर की बात समझ नहीं सका। हाँ, कांग्रेस डॉ. अम्बेडकर के साथ अछूतों के हितों की अगुवाई करने

का उत्तरदायित्व लेने को तैयार है। कांग्रेस को अछूतों के हित इतने ही प्यारे हैं, जितने भारत की भूमि की लंबाई-चैडाई में किसी अन्य को है। इसलिए मैं हिन्दू, मुस्लिम और सिख के अलावा, किसी अन्य को विशेष अधिकार देने का सदल विरोध करूंगा।” गांधी और कांग्रेस ने खुल्लमखुल्ला अछूतों के विरुद्ध लड़ाई की शुरुआत कर दी।

डॉ. अम्बेडकर ने 12 अक्टूबर, 1931 को लंदन के दैनिक अखबार ‘Times of India’ को यह पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कहा “हमें विश्वास योग्य सूत्रों से पता लगा है कि गांधी ने मुसलमानों की 14 नुकाती मांगों को इस शर्त पर मानना स्वीकार किया है, यदि वह दलित वर्गों (अछूतों) की मांगों का विरोध करेंगे।” डॉ. अम्बेडकर ने कहा कि नीजी बातचीत में यह कहना कि यदि बाकि प्रतिनिधि अछूतों की मांगों की हिमायत करेंगे, तो वह भी ऐसा ही करेंगे। पर दूसरी तरफ, मुसलमानों के साथ दलितों की मांगों का विरोध करने के बदले, उनकी सारी मांगों को स्वीकार करने की सौदेबाजी करना किसी महात्मा का नहीं, अछूतों के जानी दुश्मन का ही काम हो सकता है। गांधी दलितों के प्रति न केवल एक मित्र की भूमिका ही अदा नहीं कर रहे, बल्कि वह तो एक ईमानदार दुश्मन जैसा व्यवहार भी नहीं अपना रहे।

गांधी की तरफ से अछूतों की मांगों के विरोध की खबर सारे देश में जंगल की आग की तरह फैल गई। देश में गांधी जो कि विरोधता का दलितों की तरफ से तीखा प्रतिक्रम हुआ। श्री एस.सी.राजा की प्रधानगी में गुडगांव में हुये “कुल हिन्द दलित वर्ग सम्मेलन” में गांधी के ब्यानों को झूठा और बेअर्थ कहा। कान्फ्रेंस ने डॉ. अम्बेडकर की तरफ से पेश किये गये दृष्टिकोण का समर्थन किया। तिलीवेली रोबरटसल (तमिलनाडु), लायलपुर (पंजाब, जो अब पाकिस्तान में है), करनाल (जो अब हरियाणा में है), हिंदबरम, कालीकट और बेलगांव, धारवाड़, नासिक (महाराष्ट्र) हुगली (बंगाल), अहमदाबाद (गुजरात), टुटीकोरिन, कोलबों और कई अन्य जगहों पर भारी सभाएं हुईं, जिनमें डॉ. अम्बेडकर को पुरजोर समर्थन दिया गया।

गांधी ने कहा, “डॉ. अम्बेडकर की तरफ से पेश किये गये दावे और दलीलें ठीक नहीं है, इसके साथ तो हिन्दूवाद कतरे-कतरे हो जायेगा, जो मैं किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं हूँ। मुझे इस बात का दुःख नहीं होगा कि अगर अछूत इसाई या मुसलमान हो जायें, पर मैं हिन्दूवाद के बारे में यह सहन करने को तैयार नहीं हूँ कि हर गांव के दो हिस्से हो जायें, जो लोग अछूतों के लिए राजसी अधिकारों की बात करते हैं, वह भारत को जानते ही नहीं और ना ही वह यह जानते हैं कि इस समय भारतीय समाज को कैसे विकसित किया गया है। इसलिए मैं पूरे जोर के साथ कहना चाहता हूँ कि यदि मुझे अकेला ही इस बात का विरोध करना पड़े तो मैं अपने जीवन की बाजी लगाकर भी ऐसा ही करूंगा।”

17 अगस्त, 1932 को ब्रिटिश सरकार ने ‘Communal Award’ (फिरकु फैसला) सुना दिया। मुसलमानों, सिखों, ईसाईयों की तरह दलितों को भी अल्पसंख्यक मानते हुए अलग प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दे दिया गया। इससे भारत के राजनीतिक इतिहास में अछूतों को पहली बार अलग वोटों द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार प्राप्त हुआ। इसी कारण यह पहली बार देश के राजसी नक्से पर दिखाई दिये, इससे पहले उनका कोई नामोनिशान नहीं था।

अछूतों के लिए अलग चुनाव का अधिकार का गांधी ने सख्त विरोध किया और कहा कि सरकार अपने फैसले में परिवर्तन करे और अछूतों के अलग अधिकार वापिस ले। गांधी ने यरवदा जेल से एक धमकी भरा पत्र प्रधानमंत्री मेकडोनाल्ड को लिखा, “यदि दलितों को दिये गये ‘अलग चुनाव का अधिकार’ वापिस न लिया गया, तो मैं अपने प्राणों की बाजी लगा दूंगा।” इतना ही नहीं, गांधी ने अछूतों के अलग अधिकारों के खिलाफ आमरण-अनशन शुरू कर दिया।

गांधी की पीठ-पिछे हिन्दू समाज समर्थन के लिए खड़ा हो गया। डॉ. अम्बेडकर को धमकियां दी गई कि जैसे गांधी के पीछे हजारों-लाखों

भारतीय जेल जाने को तैयार हैं, वैसे ही फांसी पाने को भी तैयार होंगे और लड़ते हुए उस वक्त मर भी जायेंगे, जब उनके सारे यत्न बे असर हो जायेंगे। गांधी की मौत विरोधियों के लिए सुख का नहीं बल्कि मुसिबतों का कारण बनेंगी।

इस मौके पर डॉ. अम्बेडकर ने अपने एक ब्यान में कहा, “अगर श्रीमान गांधी भारत की आजादी के लिए मरणव्रत रखते तो वो सही था। पर ये एक दुःखदायी हैरानी है कि गांधी ने अकेले अछूतों को ही अपने विरोध के लिए चुना। फिरकू फैसले के जरिये भारतीय इसाईयों, मुसलमानों, सिखों, यूरोपियों और अग्लों-इंडियन लोगों को भी अलग वोट का अधिकार दिये गये हैं। परन्तु गांधी ने उनके बारे में कोई ऐतराज नहीं किया। अगर इनको अलग वोट का अधिकार देकर भारतीय राष्ट्र नहीं टूटता, तो फिर अछूतों को अलग वोट क्षेत्र अधिकार देकर भी हिन्दू समाज नहीं टूट सकता। इन सबका श्रीमान गांधी की तरफ से विरोध न करना ये भी स्पष्ट करता है कि वो अछूतों को कोई अधिकार नहीं देना चाहते। इस दिशा में वो हमेशा प्रयत्नशील भी रहे हैं। गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने किसी भी हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख के अलावा किसी भी अल्पसंख्यक के अधिकार मानने से इन्कार कर दिया था। जब बाकी अल्पसंख्यकों ने आपस में समझौता कर लिया तो इसी महात्मा जी ने मुसलमानों की पहले से ठुकराई हुई 14 मांगों को इस शर्त पर मानना स्वीकार किया कि वो दलितों का समर्थन न करें।”

गांधी अछूतों के धर्म परिवर्तन करके उनके मुसलमान या इसाई बनने के लिए तो तैयार थे, पर अछूतों के अलग अधिकारों के लिए सहमत नहीं हुए।

“गांधी के मरणव्रत के कारण सारा देश हिल गया और गांधी जी की जान बचाने के लिए चारों तरफ से मेरे ऊपर दबाव डाला गया। जान बचाने का एक ही उपाय था कि गांधी की इच्छा के अनुसार प्रधानमंत्री के फैसले में सुधार किया जाए। इस तरह मैं बड़े धर्म-संकट में फंस गया था।

एक तो देश के बहुत किमती जीवन को बचाने का सवाल था और दूसरी तरफ हजारों सालों से पीड़ित, सति, अछूत जनता के अधिकारों की बलि देना । इस समय मैं ऐसी नाजुक स्थिति में था, शायद ही कोई ओर दूसरा व्यक्ति हो । अगर मैं गांधी जी के प्राण नहीं बचाता तो मुझे देश की शांति भंग करने वाला और मानवता का दुश्मन कहा जाता और मेरे साथ अछूतों को भी इस इल्जाम का भागी बनना पड़ता । अन्त में, मैंने बड़े दुखी मन से गांधी जी की शर्तों पर समझौता स्वीकार किया, जो ‘पूना-एक्ट’ के नाम से मशहूर हैं ।”

‘पूना-एक्ट’ में चाहे दलितों को ‘फिरकू फैसले’ से कम सहूलतें मिली, पर इससे भारत के इतिहास में अछूतों को वोट का अधिकार, केन्द्रीय और प्रान्तीय विधान-सभाओं में अपने प्रतिनिधि भेजने, पुलिस भर्ती, शैक्षिक-सुविधाएं और नौकरियों में आरक्षित स्थान प्राप्त हुआ । सदियों से पछिड़े, लताड़े, अछूतों, गुलाम अपने दुख-दर्द की कहानी सुनाने योग्य हुए । यह एक बिना खून-खराबे के ऐसा इंकलाब था, जो अकेले डॉ. अम्बेडकर की योग्यता, लगन, त्याग, मेहनत और संघर्ष के कारण ही हुआ था, जिनके कारण अछूतों की आजादी की शुरूआत हुई ।

संदर्भ:

प्रस्तुत अध्याय डॉ. एस.एल.विरदी, “जब गांधी ने ‘अछूतों’ को ज्यादा अधिकार देने के विरूद्ध आमरण-व्रत किया” अखबार.....बुधवार, 6 अक्तूबर 2006 संपादकी पन्ना का पंजाबी लेख से हिन्दी भावनुवाद

5. जातिवाद एवं मानवाधिकार

सामाजिक सुरक्षा की भावना मानव को उसके अधिकार मिलने की स्थिति में आती है। मानवाधिकारों से अभिप्राय, इंसान के जीवन (प्राण), स्वतन्त्रता, समानता तथा गरिमा से सम्बन्धित ऐसे अधिकारों से है, जो भारतीय संविधान द्वारा या अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविधाओं द्वारा मान्य हैं और जिनको भारत के न्यायालयों में लागू किया जाता है। दूसरे शब्दों में सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जरूरी अधिकारों को मानव अधिकार कहते हैं। लेकिन अगर हम भारतीय समाज की वर्तमान स्थिति देखते हैं, तो पाते हैं कि मानवाधिकारों का उल्लंघन होना, यहां पर आम बात है।

आजाद भारत के सत्तासीन नेता व चिन्तक यही मानते रहे हैं कि आर्थिक विकास व शिक्षा के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ जाति प्रथा व छुआ-छूत जैसी गली-सड़ी परम्पराओं का स्वतः ही अन्त हो जायेगा, लेकिन उनकी यह सोच अब तक सही साबित नहीं हुई है। इन बुराईयों के विरुद्ध ठोस कदम न उठाने से उनको मिटाने का संकल्प केवल एक सदृच्छा बनकर रह गया, बल्कि आजादी के बाद अपनाई गई आर्थिक-सामाजिक नीतियों से हुए असमान विकास व पूर्वाग्रहपूर्ण शिक्षा ने इसे और मजबूत किया। धीरे-धीरे जाति-प्रथा ने स्वयं को राजनीतिक इकाई के तौर पर संगठित कर लिया। जाति-प्रथा के विरुद्ध सामाजिक अभियान न चलाने के कारण ही समाज में व्याप्त जातिगत दुराग्रह-पूर्वाग्रहग्रस्त संस्कारों, विचारों, मान्यताओं, रिवाजों व कर्मकाण्डों ने सामाजिक-सार्वजनिक जीवन को किस तरह प्रभावित किया है। 1 इसका ज्वलंत प्रमाण हमें वर्तमान में लिखित दलित साहित्य में मिलता है।

अनुसूचित जाति या दलित, जो भी कह लीजिए इनकी समस्याओं की प्रकृति सामाजिक है। सामाजिक समस्या का निदान राजनीतिक, प्रशासनिक एवं आर्थिक उपायों से नहीं निकाला जा सकता है। केन्द्र में कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय और सभी राज्यों में कल्याण विभागों की

स्थापना की गई है। इनका मूल काम है दलित की समस्याओं का हल निकालना स्वाधीनता मिलने से आज तक इन माध्यमों से इतना धन व्यय किया गया है कि आज यह समस्या नहीं रहनी चाहिए थी परन्तु समस्या है।² इनके धन से तथाकथित स्वर्णों और कुछ राजनीतिक और प्रशासनिक दलितों को तो फायदा पहुंचा, जबकि वास्तविक जरूरतमंद तो इन समस्याओं से अब भी जूझ रहे हैं और इन कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच से बहुत दूर है।

अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम The Scheduled Caste/ Tribe (Prevention of Atrocities Act 1989) का मुख्य उद्देश्य उक्त जातियों को, तथाकथित उच्च जातियों के अत्याचारों से मुक्त करवाना है। पीड़ित पक्ष, निशुल्क कानूनी सहायता का पात्र है। दोषी को जुर्माना सहित 6 माह से पांच वर्ष तक की कैद हो सकती है। इन मामलों के लिए प्रदेश में विशेष अदालतों की व्यवस्था की गई है। कोई लोकसेवक जो अनुसूचित जाति अथवा जनजाति से सम्बन्धित न हो तथा अधिनियम के अनुसार कर्तव्य पालन न करे तो 6 माह से एक वर्ष तक कैदसहित जुर्माना हो सकता है। दोषी द्वारा, जिस चल या अचल सम्पत्ति का इस्तेमाल, अत्याचार करने में किया हो वह जब्त हो सकती है। अदालत, उस व्यक्ति को दो वर्ष के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र से निष्काषित रहने के लिए आदेश दे सकती है, जहां उस व्यक्ति द्वारा कोई अत्याचार करने का अंदेशा हो।³ लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरित रहती ही क्योंकि इस एक्ट की कार्यवाही होने से पहले ही समझौते या सामाजिक दबाव या प्रशासनिक दावपेंच व सूचना का, पीड़ित को अभाव होने के कारण यह सब कागजी कार्यवाही रह जाता है। सामूहिक बलात्कार के दोषी छूट जाते हैं, सामूहिक अग्निकाण्ड, नर-संहार के दोषी सरेआम घूमते हैं और सरकार व प्रशासन चुप्पी बांधे रखता है।

पूरे देश की जनसंख्या में प्रतिशत के हिसाब से अनुसूचित जातियों की सबसे अधिक जनसंख्या पंजाब में (26.87%), हिमाचल प्रदेश में

(24.62:), पश्चिम बंगाल में (21.99:), उत्तर प्रदेश में (21.16:), हरियाणा में (19.07:), तमिलनाडू में (18.35:), राजस्थान में (17.03:), त्रिपुरा में (15.12:) है। जबकि अन्य राज्यों में जनसंख्या का प्रतिशत 15 से कम है।⁴

महिला उत्पीड़न एक आम समस्या है, बड़े घर की औरतों का उत्पीड़न घर की चाहर दिवारी के अन्दर तक सीमित होता है। दलित महिलाओं के साथ अन्दर बाहर हर जगह उत्पीड़न होता है। घर में घर के लोगों द्वारा और बाहर समाज द्वारा क्योंकि वे खेतों, खलिहानों में काम करती हैं। इन कार्यस्थलों पर उनका शोषण होता है। ईंट के भट्टों पर उनके साथ बलात्कार की घटनाएं प्रायः प्रतिवेदित होती हैं लेकिन तथाकथित उच्च वर्ग की प्रभावी पंचायतों व जातीय नेताओं की मिली-भगत से पीड़ित महिला के परिवार पर दबाव बनाया जाता है और कई बार तो उनकी हत्या तक कर दी जाती है। दूसरा न्याय प्रक्रिया की लम्बी अवधि के होने के कारण पीड़ित लोग मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से प्रताड़ित होते हैं। दुर्भाग्य है कि शासन-व्यवस्था अभी तक केवल अपने वादों पर खड़ी है। जब तक उनको सामाजिक समस्याओं से छुटकारा नहीं मिलेगा तब तक वे दलित ही रहेंगे। उनकी बहु-बेटियों के साथ दुराचार होता रहेगा।

जातिगत साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले नेताओं ने, संगठनों ने व राजनीतिक दलों ने कभी जातिवाद के खिलाफ अभियान नहीं चलाया। हाँ, उनके लिए जटिल स्थिति अवश्य रही है कि उनको जातियों में बंटा हुआ, एक के ऊपर एक उच्च जाति वाला समाज भी चाहिए और साम्प्रदायिकता की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए सभी जातियों को एक समुदाय की पहचान देने वाला मंच भी चाहिए। इसी बात को इस तरह भी कह सकते हैं कि साम्प्रदायिक शक्तियों को सामाजिक रूप से जातियों में विभाजित समाज चाहिए और राजनीतिक दृष्टि से सभी एक झण्डे के तले भी।⁵

वास्तविकता तो यह भी है कि दलितों को अपना वोट देने की भी स्वतन्त्रता नहीं है, क्योंकि अपनी गुजर बसर के लिए जिन लोगों के घरों में या

खेतों में वे काम करते हैं, वे लोग उन्हें काम छुड़वाने और अन्य तरीकों से दबाये रखते हैं। यदि वे लोग अपने मनमाने ढंग से वोट दे भी देते हैं तो उनको मारा-पीटा जाता है घरों में तोड़फोड़ की जाती है। राजनीतिज्ञ और प्रशासन यह कहकर पल्ला झाड़ लेता है कि यह दो गुटों की भिडन्त मात्र है। दूसरा पहलू यह भी है कि उम्मीदवार तो आपसी साठ गाँठ से सम्बन्ध मजबूत कर लेते हैं, लेकिन इसमें पिसते बेचारे दलित ही हैं।

भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को निम्नलिखित मूल अधिकार दिये गये हैं, जिन्हें मानव-अधिकारों में शामिल किया गया है :-

1. समानता का अधिकार
2. स्वतन्त्रता का अधिकार
3. जीवन व व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अधिकार
4. दोष सिद्धि के विरुद्ध अधिकार
5. शोषण के विरुद्ध अधिकार

इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मानवाधिकारों को मान्यता दी गई है। जैसे 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (Universal Declaration of Human Rights, 1948) और 1993 में मानव अधिकारों की वियना घोषणा (Vienna Declaration of Human Rights) इन घोषणाओं में मूल अधिकारों से सम्बन्धित अधिकारों का वर्णन है। उदाहरण के तौर पर महिलाओं एवं बालिकाओं का शोषण के विरुद्ध अधिकार, अल्पसंख्यकों का सांस्कृतिक-धार्मिक एवं भाषा सम्बन्धी अधिकार, शरण पाने का अधिकार, जातीयता के भेदभाव को खत्म करना आदि।⁶

आज की वास्तविक स्थिति यह है कि जो भी लोग मानवाधिकार के लिए संघर्ष करते हैं, वह भी असुरक्षित रहते हैं तथा उन पर झूठी

कार्यवाहियाँ या प्रशासनिक दबाव डाला जाता है, जिनके परिणामस्वरूप न्याय-प्रक्रिया का पहला चरण ही टूट जाता है।

मानवाधिकारियों की सुरक्षा के लिए मानवाधिकार आयोग का गठन राष्ट्रीय स्तर पर किया गया है। लेकिन उपरोक्त वर्णित तथ्य मानवाधिकार की जांच का विषय नहीं बनती है क्योंकि वे अनुसूचित- जाति की हैं या दलितों से सम्बन्धित हैं। असमानता, भेदभाव, स्वाभिमान का शोषण, स्वाधीनता की लूट, बलात्कार, छूआछूत जैसे अपराध क्या मानवाधिकारों का हनन नहीं है?

इस वस्तुस्थिति का वर्णन करने का हमारा अभिप्राय है कि इन समस्याओं का सही विश्लेषण करते हुए आवश्यक कदम उठाये गये ताकि हम सही रूप में मानवतावादी, धर्म-निरपेक्षतावादी इत्यादि शब्दों को अपने देश व समाज के साथ लगाने में गर्व महसूस करें। इस संदर्भ में निम्नलिखित बातें विचार का विषय हो सकती है:-

1. जो भी अधिनियम या कानून बने हैं; उन्हें प्रभावपूर्ण ढंग से लागू किया जाए।
2. न्याय की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए।
3. पीड़ितों को उचित मुआवजा व न्याय दिया जाए।
4. दोषी व्यक्तियों को उचित दंड दिया जाए और निष्पक्ष कार्यवाही हो।
5. न्याय-प्रक्रिया में राजनीतिक हस्तक्षेप पर रोक लगाई जाए।
6. न्याय केवल कागजी कार्यवाही न होकर, व्यवहारिक और प्रभावी हो।
7. शिक्षा में स्वायत्तता हो और राजनीतिक हस्तक्षेप को खत्म किया जाए।

8. मानवाधिकारों का हनन करने वाली खाप-पंचायतों और जातीय हिंसा को बढ़ावा देने वाले लोगों को देशद्रोही करार देकर, उन पर मुकदमा दायर किया जाए।
9. प्रशासनिक अधिकारियों में संकीर्ण विचारधारा रखने वालों के खिलाफ कार्यवाही हो
10. सरकार या आयोग किसी काण्ड के होने पर ही क्रियाशील न हो बल्कि पहले से ही अपनी जिम्मेदारी और नैतिक कर्तव्यों को वहन करे।
11. सरकारी विभागों में दलितों के कल्याणार्थ शुरू किये गए कार्यक्रमों में पैसा खाने वालों के खिलाफ उचित कार्यवाही हो।
12. दलितों व अन्य सभी गरीब वर्ग को राजनीतिक और प्रशासनिक कहर से मुक्ति दिलाई जाएं।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों की समस्याओं को सामाजिक समस्याओं की तरह ही प्रस्तुत किया जाए न कि उन्हें राजनीतिक एवं आर्थिक मुखौटा पहनाया जाए। न्याय-प्रक्रिया में निरपेक्षता, शिक्षा की स्वायत्तता एवं उपरोक्त विषयों पर ईमानदारी से चिन्तन करने पर ही इन समस्याओं का सही हल खोजा जा सकता है।

संदर्भ:

1. सुभाष चन्द्र, दलित आत्मकथाएँ: अनुभव से चिंतन, साहित्य उपक्रम, 2006, पृष्ठ -11
2. जिया लाल आर्य, दलित कहाँ जाएँ, प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली, 2005, पृष्ठ - 23
3. डॉ. एस.एस. शीलवंत, आपके कानूनी अधिकार, साथी प्रकाशन, 2008, पृष्ठ - 154

4. जिया लाल आर्य, दलित कहां जाएं, पृष्ठ - 26
5. सुभाष चन्द्र, साम्प्रदायिकता, साहित्य उपक्रम, 2006, पृष्ठ - 63
6. डॉ. एस.एस. शीलवंत, आपके कानूनी अधिकार, पृष्ठ - 136

**My work on Dr. B.R. Ambedkar/Dalit
Literature/Human Rights/ Women Issues
(2006 to 2021)**

BOOKS/ RESEARCH PAPARS/CHAPTERS

Books (Edited/Compiled):02

- *Dr. B.R. Ambedkar: The Maker of Modern India*, Edited: Dr. Desh Raj Sirswal, CPPIS, Pehowa in April, 2016 (ISBN: 978-81-922377-8-7)

- *Proceedings of One-Day Faculty Development Programme on “Dr. B.R. Ambedkar, Indian Constitution and Indian Society*, Compiled by Dr. Desh Raj Sirswal, Department of Philosophy and P.G. Department of Public Administration, PGGCG-11, Chandigarh in 2016 (ISBN: 978-81-922377-9-4).

Research Papers in Journals: 09

1. “Ambedkar on Humanism: ‘Action, Reflection, Action’”, *Frontier Weekly*, Vol. 43, No. 27, January 16-22, 2011 (ISSN: 0016-2094).

2. “Dr. Ambedkar ka Shiksha Darshan (Hindi)”, Himprastha, Year 57, No.01, April 2011, pp.55-56 (Regn. No.845/ 1957).
3. “Dr. Ambedkar's Ideas on Education and Social Change” in *Wesleyan Journal of Research*, Vol.4, No.1, June 2011, pp.180-183 (ISSN:0975-1386).
4. “Mahatma Jyotiba Phule: A Modern Indian Philosopher” in *Darshan: International Refereed Quarterly Research Journal for Philosophy and Yoga*, Year 1, Issue 3-4, July – Sept. & October-December, 2013, pp.28-36 (ISSN: 2320-8325).
5. “समाज में मूल्यों एवं मानवाधिकार शिक्षा की उपयोगिता” in *Lokayata: Journal of Positive Philosophy*, Vol.IV, No.02, September, 2014, pp. 41-48 (ISSN: 2249-8389) co-writer Mr. Ishwar Singh.
6. “Laws and Rights for Indian Women” in *Shikshan Anveshika*, Volume 04, Issue 02, 2014, pp.65-67. (Print ISSN: 2231-1386, Online ISSN: 2348-7534) co-authored with Dr. Dinesh Chahal.
7. “The Role of Religious and Spiritual Values in Shaping Humanity (A Study of Dr. B.R.

Ambedkar's Religious Thoughts" in *Milestone Education Review (The Journal of Ideas on Educational & Social Transformation)*, Year 07, No.01, April, 2016, pp. 06-18 (ISSN: 2278-2168).

8. "Role of Religions in Imparting Social Justice in Indian Socio-Political Context" in *Milestone Education Review (The Journal of Ideas on Educational & Social Transformation)*, Year 07, No.02, October, 2016, pp. 51-58 (ISSN: 2278-2168).
9. "Dr. B.R. Ambedkar: A Modern Indian Philosopher" in *Milestone Education Review (The Journal of Ideas on Educational & Social Transformation)*, Year 09, No.01, April, 2018, pp.19-31 (ISSN: 2278-2168).

Proceedings /Book Chapter:08

1. "Social Evils Related to Caste Discrimination and Human Rights Concerns" in *Development in Social Sciences*, edited by Atik-ur-rahman & Praveenkumar Kumbargoudar, published by Aadi Publications, Jaipur in 2011, pp.148-155 (ISBN 978-93-80902-68-5).
2. "Re-visiting Philosophy of Social Change in India" in *Satyam, Shivam, Sundram*

(Proceedings of 11th ICSP and 4th ICYS, Dharwad, 28-30, May 2012) pp.155-164 (ISBN: 978-81-924572-0-8).

3. “Casteism, Social Security and Violation of Human Rights” in *Human Rights for All* edited by Dr. Manoj Kumar, CPPIS, Pehowa (Kurukshetra) in 2012, pp.128-131. (ISBN: 978-81-922377-3-2).
4. “Women Empowerment in Present Times” in *Gender Mainstreaming: Problems and Prospects* edited by R.B.S. Verma, Veena Diwivedi and Sita Gurjar, Rapid Book Service, Lucknow, 2014, pp.110-114 (ISBN:978-93-82462-29-3).
5. “Crime Against Dalits and Indigenous People as an International Human Rights Issue” in Proceedings of National Seminar on Human Rights of Marginalised Groups: Understanding and Rethinking Strategies”, compiled by Dr. Manoj Kumar, Twentyfirst Century Publications, Patiala, 2016, pp.214-225 (ISBN:978-93-85447-01-3).
6. “Religious Practices and Democratic Values in India: A Search for Interreligious Dialogue” in *Proceedings of National Seminar on World Religions: A Step Towards Inter-Religious*

Dialogue, Sponsored by ICPR New Delhi at Department of Philosophy, Patkai Christian College (Autonomous), Chumukedima, Nagaland, 24-25 February, 2017, pp.98-102.

7. "Dr. Ambedkar's Views on Humanism and Buddhism" in *Relevance of Thoughts of Dr. Ambedkar in the Present Times*, Edited by Dr. B.R. Langayan, Sahitya Sansthan, Gajjabad, 2010, pp.151-160 (ISBN-978-81-89495-41-1)
8. "Dr. B.R. Ambedkar's Vision of a Just Society" in *Philosophical Reflections* edited by K. Om Narayana Rao, Kailash Chandra Moharana, Pramod Kumar Das, Philosophy Family, Puri 2021, pp.84-88. (ISBN:978-93-5493-645-6).

E-PUBLICATIONS

- **E-books: 4**

1. *Ideological Crisis in Contemporary Indian Society*, edited by Dr. Desh Raj Sirswal, Centre for Studies in Educational, Social and Cultural Development (CSESCD), Pehowa (Kurukshetra), First Edition, December 06th 2013, <http://www.amazon.com>
2. *The Philosophy of Dalit Liberation*, edited by Dr. Desh Raj Sirswal, Centre for Studies in

Educational, Social and Cultural Development (CSESCD), Milestone Education Society (Regd.), Pehowa (Kurukshehra), March 26, 2014, <http://www.amazon.com>

3. *Essays on Dr. B.R. Ambedkar*, edited by Dr. Desh Raj Sirswal, Centre for Studies in Educational, Social and Cultural Development (CSESCD), Milestone Education Society (Regd.), Pehowa (Kurukshehra), December 15, 2017, <http://www.amazon.com>
4. *Rights of Depressed Classes: A Constitutional Approach*, written by Dr. Desh Raj Sirswal, Publisher: Centre for Studies in Educational, Social and Cultural Development (CSESCD), Milestone Education Society (Regd.), Pehowa (Kurukshehra), December 06, 2019, <http://www.amazon.com>

● **E-articles: 08**

1. Dr. Ambedkar – a Humanist, The Modern Rationalist, November 2, 2019, <http://modernrationalist.com/dr-ambedkar-a-humanist/>
2. ज्ञान के प्रतीक डॉ भीमराव अम्बेडकर जी (6 दिसम्बर: महापरिनिर्वाण दिवस पर विशेष), The Philosophy of

- Liberation (मुक्ति का दर्शन), दिसम्बर 6, 2014,
<http://msesaim.wordpress.com>
3. शहीद भगत सिंह का भारतीय युवाओं को सन्देश, The Philosophy of Liberation (मुक्ति का दर्शन), September 28, 2014,
<http://msesaim.wordpress.com/>
 4. सामाजिक न्याय और धर्म : डॉ. भीम राव जयन्ती विशेष- 2014, The Philosophy of Liberation (मुक्ति का दर्शन), अप्रैल 14, 2014,
<http://msesaim.wordpress.com/>
 5. Mahatma Jyotiba Phule: A Modern Indian Philosopher, The Philosophy of Liberation, अक्टूबर 14, 2013,
<http://msesaim.wordpress.com/>
 6. संत कबीर और दलित-विमर्श (संत कबीर दास जयंती पर विशेष), The Philosophy of Liberation (मुक्ति का दर्शन), शनिवार, 22 जून 2013,
<http://msesaim.wordpress.com/>
 7. “Philosophy of Social Change: Need of an Indian Model”, A Point of View: Philosophy Cosmos- Newsletter 3 - August 2011,
<http://philosophycosmosnews.letter.philosophycosmos.co.uk/16.html>
 8. Dr. Ambedkar’s Views on Humanism and Buddhism, Interdisciplinary Studies, मंगलवार, 7

जुलाई 2009,

[http://niyamakreference.blogspot.com/2009/07/
dr-ambedkars-views-on-humanism-and.html](http://niyamakreference.blogspot.com/2009/07/dr-ambedkars-views-on-humanism-and.html)

JOURNAL' S ISSUES: 03

- Milestone Education Review: Year 03, No.01 (April, 2012): Special issue on “Social Thinking of Dr. Ambedkar”
- Milestone Education Review Year 07, No. 01, April 2016: Special issue on “Philosophy of Dr. B.R. Ambedkar”
- Milestone Education Review: Year 07, No.02, October, 2016: Special Issue on “Ambedkar, Indian Society and Tribal Philosophy”

PROGRAMME ORGANISED: 07

1. Group Discussion on "Social Problems and Violation of Human Rights in Haryana", at Centre for Positive Philosophy and Interdisciplinary Studies (CPPIS), MSES (Regd.). Pehowa (Kurukshetra) on dated 21-10-2010.
2. An interactive meeting on “Social-Thinking of Dr. B.R.Ambedkar” at Centre for Positive Philosophy and Interdisciplinary Studies

(CPPIS), MSES (Regd.), Pehowa
(Kurukshetra) on dated 15-04-2012.

3. An Online National Level Essay Competition for Students on the theme “Current Issues in Indian Society” at Centre for Positive Philosophy and Interdisciplinary Studies (CPPIS), MSES (Regd.), Pehowa (Kurukshetra) held on 05-09-2012 (Teacher’s Day).
4. An Online National Level Essay Competition for Students on the theme “Dr. B.R. Ambedkar: The Maker of Modern India” at Centre for Positive Philosophy and Interdisciplinary Studies (CPPIS), MSES (Regd.), Pehowa (Kurukshetra) held on 19-11-2015 (World Philosophy Day).
5. RUSA Sponsored One-Day Faculty Development Programme on “Dr B.R.Ambedkar, Indian Constitution and Indian Society” organised by Department of Philosophy and Department of Public Administration, P.G.Govt. College for Girls, Sector-11, Chandigarh held on 20th January, 2016.
6. Interactive Meeting on "Ambedkarism for All Sections of Society" An interactive meeting

organised by the Milestone Education Society (Regd.) Pehowa (Kurukshetra) on 17th April 2016.

7. “Declamation Contest” on “Living Issues in Indian Society” (Celebrating Birth Anniversaries of Mahatma Jyotiba Phule and Dr.B.R. Ambedkar) sponsored by Centre for Positive Philosophy and Interdisciplinary Studies (CPPIS), Pehowa (Kurukshetra) organized by The Positive Philosophy Society, P.G.Govt. College for Girls, Sector-11, Chandigarh held on 11th April, 2018.

PAPER PRESENTATIONS IN NATIONAL/ INTERNATIONAL CONFERENCES: 14

1. “Social Thinking of Dr. Ambedkar and Human Rights” in *Two-Days National Seminar on Relevance of Dr. B.R. Ambedkar’s Vision and Mission: Present Scenario* held on April 14-15, 2012 at Centre for Dr. B.R. Ambedkar Studies, K.U.Kurukshetra.
2. “Re-visiting Philosophy of Social Change in India” in Joint Conference of 11th ICSP and 4th ICYS held on 28-30 May, 2012 at Department of Mass Communication & Journalism, Karnataka University, Dharwad (Karnataka).

3. “Mahatma Jyotiba Phule: A Modern Indian Philosopher” in *Two-Days National Seminar on “Mahatma Jyotiba Phule: Life, Works and Vision”* on 14-15 October 2013 held at Department of History and Mahatma Jyotiba Phule Chair, Kurukshetra University, Kurukshetra.
4. “Dr. B. R. Ambedkar ‘s Critique of Democracy in India” in *Two-Days National Seminar on “Ambedkarite Quest on Egalitarian Revolution in India”* on 26th & 27th November, 2013 at Centre for Dr. B. R. Ambedkar Studies, Kurukshetra University, Kurukshetra.
5. “समाज में मूल्यों एवं मानवाधिकार शिक्षा की उपयोगिता” in *ICSSR Sponsored National Seminar on Education and World Peace: The Best Investment for Future Generation* held on June 7-8, 2014 at Buddha College of Education, Ramba, Karnal (Haryana).
6. “Crime against Dalits and Indigenous Peoples as an International Human Rights Issue” in *One-Day National Seminar on "Human rights for the marginalized groups: Understanding & Rethinking Strategies"* held on February 5,

2015 at P.G. Govt. College for Girls, Sector-11, Chandigarh.

7. “Dr. B. R. Ambedkar’s Contribution in the Democratic Rights Struggle” in *National Seminar on Dr. B.R. Ambedkar’s Views on Social Justice, Caste based Discrimination and Dalit Identity* held on March 27-28, 2015 at Dr. Ambedkar Centre of Socio-Economic Studies for the Weaker Sections of Society and CSSEIP, Panjab University, Chandigarh.
8. “The Role of Religious and Spiritual Values in Shaping Humanity (A Study of Dr. B.R. Ambedkar’s Religious Philosophy) in *3rd International Dharma-Dhamma Conference on Harmony of Religions: Welfare of Humankind*, held on 24-26 October, 2015 at Indore (MP).
9. “Empowerment of Marginalized Groups: An Ambedkarite Approach” in *Two Days ICSSR Sponsored Two-Day National Seminar on “Human Rights for the Empowerment of Marginalized Communities in India: Understanding and Rethinking Strategy”* at Department of Philosophy, P.G.Govt. College for Girls, Sector-42, Chandigarh held on 11th & 12th March, 2016.

10. “Role of Religions in Imparting Social Justice in Indian Socio-Political Context” in *ICSSR Sponsored National Seminar on “Challenges of Social Security, Social Inclusion for Inclusive Growth of India”* at P.G. Department of Economics and P.G. Department of Sociology, PGGCG-11, Chandigarh held on 5th August, 2016.
11. “Rights of Depressed Classes: A Constitutional Approach” in *ICSSR Sponsored Two Days National Seminar cum Workshop on “Applied Indian Paradigms of Human Rights-Possibilities and Challenges (with special reference of Samvedanaa, Sanskar & Adhikar) at S.D.College (Lahore) Ambala Cantt. in collaboration with Department of Sanskrit, Guru Nanak Dev University, Amritsar and Department of Sanskrit, Punjabi University, Patiala held on 13th-14th January, 2017.*
12. “Religious Practices and Democratic Values in India: A Search for Interreligious Dialogue” in *ICPR Sponsored National Seminar on World Religions: A Step Towards Inter-Religious Dialogue* organized by Department of Philosophy, Patkai Christian College

(Autonomous), Chumukedima, Nagaland, held on 24-25 February, 2017.

13. “Dr. B. R. Ambedkar: A Modern Indian Philosopher” in *92nd Session of Indian Philosophical Congress* on “Holistic Ways of Life and Living” at Holistic Science Research Centre (HSRC), VVCRF, Surat on 5th-7th January, 2018.
14. Delivered Lecture on “Dr. B.R. Ambedkar’s Vision of Just Society” in Webinar Series of Philosophy Family held on 27th December, 2020.

PROFESSIONAL PROGRAMME:01

- Three days Capacity Development Programme (Online/ Webinar) on “Dialogue with Baba Saheb: Critical Reections on Social Science Discourse” Organised by Teaching Learning Centre For Social Science, Dr Harisingh Gour Vishwavidyalaya, Sagar (MP). Under the Aegis of Pandit Madan Mohan Malaviya National Mission on Teachers and Teaching (PMMMNTT), Ministry of Human Resource Development, Government of India, New Delhi held on April 12-14, 2020.

● **National /International Seminars/ Webinars**
Participations:17

1. Participated in *National Seminar on Relevance of Dr. Ambedkar's Thoughts in the Present Times* at Centre for Dr. B.R. Ambedkar Studies, Kurukshetra University, Kurukshetra held on October 4-5, 2008.
2. Participated in *Training Program on Rights and Responsibilities of Human Rights Defenders* organized by people's Watch and Dalit Foundation in collaboration with Action Aid India, Commonwealth Human Rights Initiative, NAWO, MARG and Ekta Parishad at Youth Hostel, Pipli (Kurukshetra), held on May 29-30, 2010.
3. Participated in *One Day State Level Workshop on "An Integrated Initiative to Combat Declining Sex Ratio in Haryana"* organised by Haryana Nav Yuvak Kala Sangam at MDU Rohtak held in June, 2010.
4. Participated in *One-Day National Seminar on Dr. B. R. Ambedkar's Human Consciousness and Indian Culture* organized by Department of Sanskrit, S.D.College (Lahore), Ambala Cantt. held on January 10, 2011.

5. Participated in *One-Day National Seminar on Dalit Consciousness in Sanskrit Sahitya* organized by Department of Sanskrit, S.D. College (Lahore), Ambala Cantt, held on February, 2011.
6. Participated in *Aadarsh Shiksha Seminar* organized by SAHAARA and IIDEA at Hisar (Haryana) held on December 01, 2012.
7. “महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉ आंबेडकर का जन्मदिवस”, वाल्मीकि आंबेडकर शिक्षा प्रसार समिति, मांडी, अप्रैल 12, 2014.
8. " संघर्ष के आयाम: हमारा समाज और सामाजिक न्याय" हरियाणा लोक पहल (डॉ भीमराव आंबेडकर जी जन्मदिवस कार्यक्रम) कैथल (हरियाणा) अप्रैल 14, 2014.
9. “डॉ. भीमराव अम्बेडकर महापरिनिर्वाण श्रद्धांजली समारोह-2014” भगवान वाल्मीकि छात्रावास, कुरुक्षेत्र, दिसम्बर 06, 2014.
10. “शैक्षिक ज्योति सावित्रीबाई फुले जन्मदिन समारोह” भगवान वाल्मीकि छात्रावास, कुरुक्षेत्र, जनवरी 03, 2015.
11. “महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉ आंबेडकर का जन्मदिवस”, वाल्मीकि आंबेडकर शिक्षा प्रसार समिति, मांडी April 11, 2015.

12. Teacher's Day Celebration-2016 by Ideal Coaching Centre, Pehowa held on September, 2016.
13. पूना-पैक्ट का आधुनिक सन्दर्भ में चिन्तन और समीक्षा, अम्बेडकर स्टडी सेंटर, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र , 24 सितम्बर , 2016.
14. Inauguration of "Dr. B. R. Ambedkar Community Resource Centre" in the Solan City of Himachal Pradesh organized by MSC- Movement for Scavenger Community on 17th December 2017.
15. Participated in *Webinar titled "Struggle for Discrimination Free Space: Issues of Representation, Exclusion and Inclusion in Contemporary India"* organized by Dialogue for Academic Justice (DFAJ) on 30th May, 2020.
16. Participated in *Webinar on "GENDER SAMANTA PE DR. AMBEDKAR KE VICHAR"* organized by Dr. Ambedkar Chair, Patna University, Patna on Jun 20, 2020.
17. Participated in *Webinar on "Dr. Ambedkar: Everyone's Inspiration"* organized by Centre for Dr. B.R. Ambedkar Studies, Kurukshetra University, Kurukshetra on July 17, 2020.

SOCIAL RECOGNITIONS/HONOURS: 05

- Following societies/organizations honoured us due to our continuous social work and academic contributions:
 1. NACDOR (Pehowa Branch) honoured in Dr. B.R. Ambedkar's Birthday Celebrations held on April 02, 2006.
 2. Gautam Buddha Education and Research Foundation (Kurukshetra) honoured in Dr. B.R. Ambedkar's Birthday Celebrations held on April 14, 2007.
 3. Dr. Ambedkar Educational Empire of Educational Aids (Kurukshetra) honoured in Dr. B.R. Ambedkar's birthday Celebrations held on April 14, 2010.
 4. SAHAARA and IIDEA honoured in Aadarsh Shiksha Seminar held on December 01, 2012 at Hisar (Haryana).
 5. "Dr. Ambedkar Fellowship National Award-2021" by Bharatiya Dalit Sahitya Akademi in 37th National Conference of Dalit Writers, Delhi on December, 11-12, 2021.

Societies and Research Centres: 04

- Milestone Education Society (Regd.) Pehowa (Kurukshetra): <http://milestone02.webs.com>
- Society for Positive Philosophy and Interdisciplinary Studies (SPPIS), Haryana: <http://sppish.blogspot.com/>
- Centre for Positive Philosophy and Interdisciplinary Studies (CPPIS): <http://positivephilosophy.webs.com>
- Centre for Studies in Educational, Social & Cultural Development (CSESCD): <https://msesaim.wordpress.com/milestone-education-society-regd-pehowa-kurukshetra/>

Webpages/Profiles: 06

- Milestone's Literature: <http://milestone02.wordpress.com/>
- Milestone's Inspirations: <http://msesedu.wordpress.com/>
- The Philosophy of Liberation: <http://msesaim.wordpress.com/>

- Facebook Group: Milestone Education Society:
<https://www.facebook.com/groups/214914558561755/>
- Milestone Education Review:
<http://milestonereview.webs.com>
- D.R. Ambedkar: The Maker of Modern India:
<https://drambedkar125.wordpress.com/>

About The Author

Dr. Desh Raj Sirswal is an Assistant Professor (Philosophy), Post Graduate Govt. College, Sector-46, Chandigarh and Programme Co-ordinator of Centre for Positive Philosophy and Interdisciplinary Studies (CPPIS), Milestone Education Society (Regd.), Pehowa (Kurukshetra). He is the Editor of bi-annual interdisciplinary online journals *Lokāyata: Journal of Positive Philosophy* and *Milestone Education Review (The Journal of Ideas on Educational & Social Transformation: ISSN: 2278-2168)*. He contributed several research papers in the field of philosophy, Ambedakrism and edited several books.



Dr. Desh Raj Sirswal
dr.sirswal@gmail.com

Visit at <http://drsirswal.webs.com> for more details.

About The Book

प्रस्तुत अंक कुछ लेखों का संग्रह मात्र है। जिसमें उनके चिंतन का अंश भर रेखांकित किया गया है। प्रथम लेख उनके व्यक्तित्व एवं विचारों से हमारा परिचय कराना है। द्वितीय लेख उनके शिक्षा सम्बन्धी विचारों का संकलन है। तृतीय लेख डॉ. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच वैचारिक द्वंद की तरफ इंगित करता है, जोकि वस्तुतः एक पंजाबी लेख का भावानुवाद है। चतुर्थ लेख में जातिवाद एवं मानवाधिकार के बारे एक निरपेक्ष चिंतन दिया गया है जिसमें वर्तमान समय की जातीय समस्याओं, मानवाधिकार के परस्पर सम्बन्ध को दर्शाया गया है।

“माइलस्टोन एजुकेशन सोसाइटी” मूलतः शिक्षा सम्बन्धी कार्यों से जुड़ी संस्था है, जो कि समाज सुधारकों के शिक्षा सम्बन्धी विचारों प्रचार-प्रसार और उन विचारों का शैक्षणिक सुधारों में प्रयोग के प्रति प्रयासरत है। हम सभी उन पौधों को सींच पाए हैं जो इन विचारकों ने लगाए थे। ऐसा हमारा उद्देश्य रहा है। उनके सपनों को पूरा करने के लिए हमें कठोर संकल्प, ईमानदारी और प्रभावपूर्ण ढंग से काम करना होगा, तभी हम सही मायने में इन विचारकों को सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं।